

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या : 145/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड, सी-25, भगवन्त दास रोड, सेंट जेवियर स्कूल के सामने, सी-स्कीम
जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री सुदीप लूनिया पुत्र श्री माणक चंद लूनिया,
2. श्रीमती सायर लूनिया पत्नी श्री माणक चंद लूनिया,
3. श्रीमती रीतू लूनिया पत्नी श्री सुदीप लूनिया,

पता: प्लेट नं. एफ-02, प्रथम तल, कासा ब्लंका, प्लॉट नं. 46, प्रेम सागर, ग्राम नृसिंहपुरा, तहसील
सांगानेर, जयपुर

एवं 40, देवी पथ, जेएलएन मार्ग, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर




The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

1. श्री विनोद कुमार चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 01.08.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.04.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री सुदीप लूनिया के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 45 एवं प्लॉट नं. 46 का भाग, कासा ब्लंका, प्रेम सागर, ग्राम नृसिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर के प्रथम तल पर स्थित प्लेट नं. एफ-01, क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 15,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.05.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 15,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 17,67,563/- रुपये जमा


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)



कराने हेतु अप्राथीगण को दिनांक 31.06.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्राथीगण द्वारा जमा नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्राथीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रवृत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राथी श्री सुतीप लूजिया के स्वागित्त की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. 45 एवं प्लॉट नं. 46 का भाग, कारा ब्लॉक, प्रेम सागर, ग्राम नृसिंहपुरा, सीमानेर, जयपुर के प्रथम तल पर स्थित प्लॉट नं. एफ-01, क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जारिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर प्राणीय को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं मालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें/आदेशिका प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर वाचिल वफतार हो। दिनांक 01.08.2024 को सारे इजलारा सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरीहित)
जिला अधिकारी
(कब्जा) जयपुर (प्राणीय)